कैबिनेट फैसला

- केंद्र सरकार की निवेशकों को दी जाने वाली मदद का 50 प्रतिशत यूपी सरकार देगी
- उद्योग के लिए जमीन खरीदने पर स्टांप व निबंध शुल्क में सौ प्रतिशत रियायत मिलेगी

सेमी कंडक्टर नीति में भूमि खरीद पर 75% छूट

02 सौ एकड़ जमीन खरीदने वालों को दी जाएगी छूट

25 वर्ष तक बिजली की अंतरराज्यीय खरीद पर छूट मिलेगी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने अपनी नई सेमी कण्डक्टर नीति को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए यूपी विदेशी निवेश आकर्षित कर सेमीकण्डक्टर उद्योग में अग्रणी बनने की मुहिम अब तेज करेगा। नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा निवेशकों को दी जाने वाली वित्तीय मदद का 50 प्रतिशत यूपी सरकार अपनी ओर से देगी। इसके अलावा 200 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।

200 एकड़ जमीन खरीदने पर 75 फीसदी सब्सिडी

जमीन खरीदने पर स्टांप व निबंध शुल्क में सौ प्रतिशत छूट मिलेगी। 200 एकड़ जमीन खरीदने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी और अतिरिक्त जमीन खरीदने पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। आईटी विभाग द्वारा तैयार इस नीति के मसौदे को गुरुवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी देते हुए आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश को सेमी कण्डक्टर इको सिस्टम का केन्द्र बनाने, रोजगार सृजन करने, कौशल विकसित करने तथा राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करने में मदद मिलेगी।

इस उद्योग में पानी की बहुत जरूरत होती है। इसलिए यूपी सरकार निवेश कंपनियों को भरपूर पानी भी उपलब्ध कराएंगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा, गुजरात व तमिलनाडु के बाद सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला यूपी चौथा राज्य बन गया। यह नीति पांच साल के लिए होगी। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन नोडल संस्था होगी। नोडल संस्था एक परियोजना प्रबंधन इकाई भी बनाएगी। नोडल संस्था के कार्य-कलापों की देख-रेख के लिए आईटी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई बनेगी।

नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी। नीति के तहत आवेदन करने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी कैबिनेट ही देगी। इसके लिए सशक्त समिति की अनुशंसा जरूरी होगी।

कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी।

ये लाभ भी मिलेंगे

- 10 साल तक की अवधि के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- दोहरी पावर ग्रिड नेटवर्क में एक नेटवर्क की लागत की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी
- परियोजना चालू होने पर 25 साल के लिए बिजली की अंतराज्यीय खरीद पर व्हीलिंग शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट
- प्रशिक्षण के लिए पांच वर्ष तक हर साल 60 लाख रुपये

ये फैसले भी हुए

- राज्य सरकार ने गोरखपुर की मुंडेरा बाजार नगर पंचायत का नाम बदल कर चौरी-चौरा कर दिया है।
- फर्म सोसायटी के उप निबंधक पद पर तैनात रहे प्रवीन कुमार श्रीवास्तव की वेतन वृद्धि रोकने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है
- कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सातवें वेतनमान के बकाये एरियर के भुगतान को कैबिनेट ने मंजूरी दी

निजी एमएसएमई पार्कों को परिवर्तन शुल्क नहीं पड़ेगा

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने प्लेज योजना के तहत बनने वाले निजी एमएसएमई पार्कों को और बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अब विकास प्राधिकरणों के तहत आने वाली जमीन को अपने हक में भू परिवर्तन कराने वाली निजी एमएसएमई यूनिट को परिवर्तन शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

कैबिनेट ने गुरुवार को इस बाबत एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कृषि भूमि का भू-उपयोग औद्योगिक में परिवर्तन कराने में, एमएसएमई पार्कों को परिवर्तन शुल्क से मुक्त रखने की व्यवस्था के लिए 'उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022' संशोधन किया गया है।

अब इसमें कोई भी बदलाव मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर हो सकेगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में दी गयी छूट स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

अयोध्या एयरपोर्ट के नाम को मंजूरी

लखनऊ। अयोध्या में हाल ही में बने हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखे जाने को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी।

नागरिक उड्डयन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को पास कर दिया। इसी हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था। इसके बाद से मात्र 17 दिनों में इसे देश के चार प्रमुख महानगरों से हवाई सेवा से जोड़ दिया गया है।

विधानसभा में पेश होगी अतीक अशरफ हत्याकांड जांच रिपोर्ट

- सरकार को सौंपी गई दोनों रिपोर्टों को दी गई मंजूरी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। योगी सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहम व अशरफ की हत्या के मामले में बने जांच आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। प्रयागराज में ही वकील कृष्ण कुमार पाल व उनके दो अंगरक्षकों की हत्या में वांछित अभियुक्तों के साथ पुलिस मुठभेड़ की घटनाओं की जांच संबंधी रिपोर्ट भी अनुमोदित कर दी।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब इन दोनों रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने गुरुवार को इससे संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। असल में पिछले साल प्रयागराज में कृष्ण कुमार पाल एवं उनके दो अंगरक्षकों की हत्या हो गई। इसी तरह पुलिस रिमाण्ड पर लिए गए अभियुक्त अतीक अहमद व अशरफ की फायरिंग में मृत्यु हो गई।

मेट्रो की संपत्तियों पर कई तरह के शुल्क माफ

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने यूपी में मेट्रो रेल और रैपिड रेल (आरआरटीएस) को बढ़ावा देने के लिए उनकी संपत्तियों पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, विज्ञापन लाइसेंस शुल्क और पार्किंग शुल्क को माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और नोएडा में मेट्रो रेल चल रही है। आगरा में जल्द ही मेट्रो रेल का संचालन शुरू होना है। इसके अलावा भविष्य में अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू करने की योजना है। दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल चल रही है। मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने तर्क दिया है कि मेट्रो रेल परियोजना के लिए तैयार की गई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) में प्रावधान है कि संबंधित राज्य सरकारें वाणिज्यिक विकास, पार्किंग व विज्ञापन लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगी।

आठ रेंजों में बांटी गई अग्निशमन एवं आपात सेवा

लखनऊ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब फायर सर्विस को अग्निशमन एवं आपात सेवाएं कहा जाएगा और इसे प्रदेश में आठ रेंज मेरठ, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं गोरखपुर में बांटकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसी के साथ ड्यूटी के दुर्घटना होने की स्थिति में कर्मचारी के आश्रितों को असाधारण पेंशन दी जाएगी।

यूपी में तीन निजी विवि की स्थापना को मंजूरी दी गई

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। कैबिनेट ने प्रदेश में तीन नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि निजी क्षेत्र के तहत जेएसएस विश्वविद्यालय की स्थापना नोएडा में, सरोज विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में और शारदा विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि योगी सरकार में उच्च शिक्षा की क्वालिटी में काफी सुधार हुआ है। आज प्रदेश में पांच सरकारी और पांच निजी विश्वविद्यालय ए डबल प्लस की रैंकिंग के हैं। इसके अलावा ए प्लस रैंकिंग के तीन विश्वविद्यालय हैं। वहीं बड़ी संख्या में ए रैंकिंग विश्वविद्यालय प्रदेश में हैं जबकि योगी सरकार से पहले प्रदेश में मात्र तीन बी प्लस रैंकिंग के ही विश्वविद्यालय मौजूद थे। प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने में निजी विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका साबित होगी। साथ ही साथ शिक्षा की क्वालिटी में भी सुधार होगा।